न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 12/2017

1. रामकरण पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी 7 एस तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. खूबचन्द पुत्र रामकरण जाति नायक निवासी 7 एस तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. सन्तोष पुत्री रामरण पत्नी भगवानाराम जाति नायक निवासी 1 के एस एमतहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । –अपीलार्थीगण

बनाम

1. रोशनी पुत्री रामकरण पत्नी बहादुरराम जाति नायक निवासी 1 के एस एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. कागती पुत्री रामकरण पत्नी ईशरराम जाति नायक निवासी 6 एस छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. सूर्यपाल पुत्री रामकरण पत्नी इन्द्राज जाति नायक निवासी धांधल तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरण्पुर । –रेस्पोडेन्टान

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर।

दिनांक 23.11..2016 ।

उपस्थितिः–

श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलांट ।

श्री राजेश कुमार गुम्बर, अभिभाषक रेस्पॉं. सं. 1 से 3

25/9/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक :– 25.09.2017

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो. सं. 1 से 3 ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 53, 88 का कुम्भाराम के परिवार की वंशावली पेश करते हुए कथन किया कि वादीगण के पिता प्रतिवादी सं.1 के पिता के नाम से चक 7 एस के खाता संख्या 81/80 नया पुराना के मु.न. 83 में 13 से 25 में 3.086 है. तथा मु.न. 10 में 1 बीघा कुल 3.339 है. भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं.1 को वादीगण के पदरादा से विरासतन में प्राप्त हुई है। जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का हिस्सा बनता है जिसे वे प्राप्त करने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 को कई बार कहा कि विरासत में प्राप्त भूमि बेची जा रही है आप अपने हिस्से की भूमि प्राप्त कर चुके है हमें हमारा हिस्सा दे दो लेकिन प्रतिवादी सं.1 ने इन्कार कर दिया । यही वादकारण पैदा हुआ । अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार करते हुए वाद पत्र के अनुतोष की मद क के अनुसार दावा डिक्री किया जावें ।

वाद पेश होने पर प्रतिवादीगण को तलब करने पर उनके अधिवक्ता उपस्थित आये लेकिन जबाव दावा पेश नहीं करने पर जबाव बंद कर, बहस सुनी जाकर अधी. न्यायालय ने दिनांक 23.11.2016 को वादीगण का वाद स्वीकार कर लिया । जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया न ही जबाव दावा पेश करने

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

का समुचित अवसर दिया गया । जबाव दावा लेकर वाद बिन्दु कायम करने पर उन पर साक्ष्य लेकर ही वाद का निर्णय करना चाहिए था । अपीलाधीन आदेश एक तरफा है जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी । अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट के अधिवक्ता अधी.न्यायालय में उपस्थित आये थे । जबाव दावा के अनेक अवसर दिये गये किन्तु जबाव दावा पेश नहीं किया गया । अधी. न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर दावा का डिक्री किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः अपील खारिज की जावें ।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध दिनांक 02.02.2017 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया जिसका का जबाव रेस्पो. द्वारा पेश किया गया है। किन्तु न्याय हित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी.न्यायालय उपखंड अधिकारी श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 23.11.2016 के विरूद्ध पेश हुई है। अधी.न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया गया । विवादित आराजी का Key prson रामकरण होकर दावा डिक्री का आधार रामकरण के परिवार के सदस्यों पुत्रों, पुत्रियों एवं पत्नी के हक हकूकों की घोषणा व बंटवारा करना है । अपील में कहीं पर भी रामकरण के परिवार के सदस्यों को इन्कार नहीं किया है, अपील का विवरण अधी.न्यायालय द्वारा तथाकथित की गई प्रक्रियाओं की त्रुटियों का चित्रण किया है। कहीं पर भी गुणावगुण के आधार पर अधी.न्यायालय ने क्या

25/9/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विधिक त्रुटि की है का न वर्णन किया न ही स्पष्ट किया है। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

25/9/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. रामकरण पुत्र मंगलाराम जाति नायक निवासी 7 एस तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
2. खूबचन्द पुत्र रामकरण जाति नायक निवासी 7 एस तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर ।
3. सन्तोष पुत्री रामरण पत्नी भगवानाराम जाति नायक निवासी 1 के एस एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर । ––अपीलार्थीगण

बनाम

1. रोशनी पुत्री रामकरण पत्नी बहादुरराम जाति नायक निवासी 1 के एस एम तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
2. कागती पुत्री रामकरण पत्नी ईशरराम जाति नायक निवासी 6 एस छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. सूर्यपाल पुत्री रामकरण पत्नी इन्द्राज जाति नायक निवासी धांधल तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर। ––रेस्पोडेन्टान

अपील संख्या 12/2017 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर मुर्ख्ख 23 माह 11 सन् 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 25 माह 09 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री तेजासिंह अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री राजेश कुमार गुम्बर अभिभाषक रेस्पों. सं. 1 से 3 एवं श्री इकबाल सिंह सिद्धू राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X ......) रूपये.. X अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 25.09.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर